

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई 2021—आषाढ़ 22, शक 1943

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021

क्र. एफ. 1-55-2009-दो-ए(3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46, सन् 1974) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री के. आर. चौकीकर, आवंटन अधिकारी (अपर कलेक्टर), संपदा संचालनालय, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 2 जुलाई 2021 से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम, भोपाल सीमा क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति यादव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021

क्र. एफ. 1-55-2009-दो-ए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भलावी, अवर सचिव.

Bhopal, the 13th July 2021

No. F. 1-55-2009-II-A(3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoint Shri K. R. Chaukikar, Allotment Officer (Additional Collector), Directorate of Estates, Bhopal as competent authority with effect from the date 2nd July 2021 of his taking over charge for the purpose of the said Adhiniyam within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PREETI YADAV, Dy. Secy.

587